न्यायालय सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी),आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी – श्री डॉ. अंशु प्रिया, आई.ए.एस.

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सुनीता कंवर पत्नी श्री प्रतापसिंह पुत्री स्व. जगाजी, निवासी मांच गांव, आबूपर्वत		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देलदर।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 125,136 भू.राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व प्रार्थना संख्या 3/2026

दिनांक 12. 2.**2026**

आदेश

यह कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 125, 136 भू.राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी की मौजा सालगांव तहसील देलदर में निम्न खसरा नंबर 349, 350, 352 से 360, 364 एवं 365 कुल किता 13 कुल खसरा 1.0744 हैक्टेयर की कृषि भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थीया का सही नाम श्रीमति सुनीता कंवर पुत्री जगाजी पत्नी प्रताप सिंह है। खाता संख्या नया 07 पुराना 09 की जमाबंदी में प्रार्थीया का नाम सुगना बाई पुत्री जगत सिंह दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थीया का सही नाम सुनीता कंवर पुत्री जगाजी पत्नी प्रताप सिंह है जो आधार कार्ड, पेन कार्ड, जन आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड में दर्ज है। यह कि मौजा सालगांव के खाता संख्या नया 07 पुराना 09 में शुद्धि करा प्रार्थीया का सही नाम सुनीता कंवर पुत्री जगाजी पत्नी प्रताप सिंह दर्ज कराने के आदेश प्रदान कराने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। कार्यालय भू.अ.निरीक्षक वृत आबूपर्वत द्वारा इस कार्यालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। भू.अ.निरीक्षक वृत आबूपर्वत की रिपोर्ट एवं मौका फर्द अनुसार सुनीता कंवर पत्नि प्रतापसिंह पुत्री जगाजी के प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नंबर 349, 350, 352 से 360, 364 एवं 365 कुल किता 13 में सुगना बाई पुत्री जगतसिंह दर्ज हुआ है जिस सही सुनीता कंवर पुत्री जगाजी कराना चाहा है जिसे बचपन में सुगना नाम से बुलाते थे एवं वर्तमान में दस्तावेजो में इनका सही नाम सुनीता करवाना चाहती है। खातेदार जगतसिंह पुत्र दौलतसिंह की मृत्यु वक्त नामांतरकरण से इनका नाम सुगनाबाई पुत्री जगतसिंह दर्ज हुआ है।

हमने बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं बहस पर मनन के आधार पर स्पष्ट है कि प्रार्थीया का सही नाम सुनीता कंवर पुत्री जगाजी पत्नी प्रताप सिंह है। अतः मौजा सालगांव, तहसील देलदर, जिला सिरोही के खाता संख्या नया 07 पुराना 09 की जमाबंदी में वर्णित खसरा नंबर 349, 350, 352 से 360, 364 एवं 365 कुल किता 13 में प्राथीया का नाम सुगनाबाई पुत्री जगतसिंह दर्ज है। जिसे सुधार कर सही नाम श्रीमति सुनीता कंवर पुत्री जगाजी दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। आदेशानुसार जमाबंदी में अप्रार्थी सुधार करे।

(डॉ. अंशु प्रिया) I.A.S.
सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी)
आबूपर्वत

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshu Priya
Date: 2026.03.11 18:36:48 IST
Reason: SelfAttested

क्रमांक / कोर्ट / 2026 /   दिनांक

प्रतिलिपि :– तहसीलदार, देलदर को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी)
आबूपर्वत